# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 24/16 GCMS NO 2016/00138

1. हरिप्रसाद पुत्र गोला कजोडी जाति महाजन ,मोहन नगर, अस्पताल के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. ओमप्रकाश बी.डी.ओ. पुत्र रामस्वरूप निठार वाले स्टेशन रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. जगदीश पुत्र गेदा जाति ब्राहम्ण निवासी गउशाला हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. विजय सिह पुत्र दुर्गा जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली
5. दिगम्वर सिह पुत्र खेम सिह जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. शिब्बी पुत्र मनोहरी जाति पटवा निवासी पीलू वाली मस्जिद के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली
7. कैलाश पुत्र छीतर जाति महाजन निवासी बयानिया मार्केट हिण्डौन सिटी जिला करौली
8. शिवदयाल पुत्र मनोहरी जाति जाटव निवासी गउशाला की जमीन हिण्डौन सिटी जिला करौली
9. जयकुमार पुत्र दर्शन जाति जैन निवासी शीतला कालौनी हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. तुलसी पुत्र रामजीलाल
2. श्यामलाल पुत्र नारायण
3. उदय पुत्र नारायण
4. गोपाल पुत्र नारायण
5. भगवत पुत्र रामजीलाल
6. भगवान पुत्र रामजीलाल जातियान माली निवासीयान भायलापुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली
7. रघुवीर पुत्र भगवत (हजफ) जाति गुर्जर निवासी केशवपुरा हालवासी अभय नगर करौली रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली
8. जैसीराम पुत्र देविया जाति गुर्जर निवासी केशवपुरा हालवासी अभय नगर करौली रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली
9. रफीक पुत्र मांग्या
10. ठेंग्या पुत्र मांग्या जातियान मुसलमान निवासी इस्लामपुरा हिण्डौन सिटी जिला करौली
11. गोविन्द पुत्र बलजीत
12. सियाराम पुत्र फूस्या जातियान [illegible] निवासीयान फुलवाड़ा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
13. रामसहाय पुत्र चौथी जाति माली निवासी [illegible] हिण्डौन सिटी
14. रामस्वरूप पुत्र देविया जाति गुर्जर निवासी केशवपुरा हिण्डौन सिटी
15. गोपाल महन्त पुत्र पप्पे जाति ब्राहम्ण निवासी केशवपुरा हिण्डौन सिटी
16. गोली पुत्र लोहडे जाति मुसलमान निवासी इस्लामपुरा हिण्डौन सिटी
17. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्ध मु0नं0 123/15 निर्णय दिनांक 19.2.16 न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी )

अभिभाषक अपीला0 श्री ईश्वर सोनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री अशोक निमनका

दिनांक 30.5.2025

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.2.16 न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सायलान कस्बा हिण्डौन तथा ग्राम चमरपुरा के कृषि पेशा व्यक्ति है जो अपनी छोटी छोटी जमीनो मे स्वयं काश्त कर अपना जीवन यापन करते है। गैरसायलान वाहुबली व पैसे वाले व्यक्ति है। कस्बा हिण्डौन व चमरपुरा नामक गांव के मध्य करीब 100 बीघा गोपाल गौशाला की जमीन जिसे सायलान के पूर्वजो द्वारा गौशाला के लिए दी थी। सायलान के बुजुर्गान ने गोवंश की देखभाल व गायो की सेवा पूजा करने के उद्वेश्य से गोपाल गौशाला बनाई है। इसलिए जमीन भी उसी गोपाल के नाम से गोपाल गौशाला को सरकार से दिलाई गई है। कालांतर मे गोपाल द्वारा जमीन व गायो की सुरक्षा मे अपना जीवन व्यतीत किया है। गैरसायलान बाहुवली एवं पैसे वाले लोग है जो गरीब किसानो की जमीनो को डण्डो के बल पर हडपना एवं उन्हे कृषि से अकृषि मे परिवर्तित कर प्लाट कांट कर भूमि को बेचान करने वाले व्यक्ति है। साबिक खसरा न0 3186 हिण्डौन करौली रोड से एक गैर मुमकिन नाला ख0न0 3201 व 3203 जो गौशाला की जमीन खसरा न0 3205 मे मध्य मे होकर जाट के तालाब मे आकर मिलता है जो प्राकृतिक पानी का स्त्रोत है। नाले के दोनो तरफ सायलान व अन्य कृषि पेशा व्यक्तियो की कृषि की जमीने है। उक्त कृषि भूमियो को कृषि कार्य बाबत आवागमन का एक मात्र रास्ता खसरा न0 5437 मुख्य सडक हिण्डौन करौली रोड से खसरा न0 5151 कस्बा हिण्डौन से प्रारंभ होकर खसरा न0 4044 मे होकर फुलवाडा की सीमा मे प्रवेश करता है और आगे चमरपुरा की और जाता है। उक्त रास्ते मे सरकार द्वारा 50 लाख रूपये की लागत से पुख्ता सडक बनवाई है जिसका उपयोग समस्त काश्तकार एवं गौपाल गौशाला के प्रतिनिधी एवं गाये विगत सैकडो साल से कर रही है। इस प्रकार खसरा न0 5145 रकबा 13 ऐयर खसरा न0 5551 रकबा 7 ऐयर की खातेदारी गोपाल गौशाला ... दर्ज ... दी है। जबकि उक्त ख0न0 कालान्तर मे गैर मुमकिन नाले एवं रास्ते के उपयोग मे ... आ रहे है। लेकिन उक्त गलत रिकार्ड का बेजा लाभ उठाकर गैरसायलान ... गैर मुमकिन ... जमीन पर रास्ते के दोनो ओर पुख्ता दीवार तामीर कर सायलान की भूमि को नाकाबिल ... काश्त बनाने पर आमादा है। जिसके चलते गैरसायलान ने दिनांक 21.11.15 को पुख्ता दीवार बनाने के लिए पत्थर खंडे डाल दिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ऐसी स्थिति मे गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द फरमाया जावे कि गैर मुमकिन नाला खसरा न0 5145,5151 व 5149 स्थित कस्बा हिण्डौन दोनो तरफ पुख्ता दीवार बनाकर सायलान के खेतो के रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। सायलान की जमीन पर कब्जा नही करे। गौशाला की आराजीयात पर फसल काश्त नही करे गायो के लिए खाली रहने दे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र रास्ते की हद तक स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/गेरसायलान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे सायलान/रेस्पो0 द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं वाद पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार कर कानूनी भूल की है। जबकि उक्त खसरा न0 5145, 5151 व 5149 मे कभी गैर मुमकिन नाला नही रहा, ना ही वर्तमान मे कोई नाला है। उक्त नम्बरान की खातेदारी गोपाल गौशाला हिण्डौन के नाम वर्षो से चली आ रही है। गोपाल गौशाला का एक मात्र उद्वेश्य गायो की सेवा करने का है तथा गोपाल गौशाला एक पंजीकृत संस्था है। गोपाल गौशाला की करीब 159 बीघा भूमि खातेदारी की है। जिस पर रेस्पो0/सायलान जो लठठबाज व भू माफिया है जबरन गौशाला की जमीन पर कब्जा करने की फिराक मे रहते है। जिससे गोपाल गौशाला द्वारा अपनी भूमि की नाप तोल करवाकर उक्त रेस्पो0 को जिला कलेक्टर करौली द्वार बेदखल भी किया गया है। लेकिन रेस्पो0 का एक गिरोह बना हुआ है जो गौशाला की भूमि पर जबरन झूठे मुकदमे करके तथा झूठे मुकदमो की आड मे गौशाला की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। गोपाल गौशाला मे वर्तमान मे लगभग 1500 गाये है। गोपाल गौशाला द्वारा अपनी भूमि पर मेन रोड करौली से करीब 2 किलोमीअर दूर गौशाला बनाई है। गौशाला पर आने जाने हेतु सडक बनवाई गई है। उक्त सडक गौशाला की जमीन मे ही बनी है। लेकिन रेस्पो0 जबरन उस सडक पर कब्जा करना चाहते है। उक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड मे रेस्पो0 जबरन अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रेस्पो0 ने दावा घोषणा खातेदारी का किया है तथा दावे मे रिकार्डेड खातेदार को मुकदमा [illegible] नही [illegible] है, तो घोषणा खातेदारी का दावा मेंटबल नही है जब दावा ही मेंटबल नही है तो टी आ[illegible] कानून से परे जाकर आंशिक स्वीकार कर कानून की सरासर अवहेलना की गई है। इस [illegible] निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय करते समय रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र के तथ्यो पर कोई गौर नही किया । रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र मे खसरा न0 5437 मुख्य सडक से होकर फुलवाडा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:36 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सीमा पर रास्ता बतलाया है जबकि रिकार्ड के अनुसार हिण्डौन करौली की मुख्य सडक का खसरा न0 5437 है ही नही। जब खसरा न0 5437 पर मुख्य सडक है , नही तो उससे रास्ता जाने का प्रश्न ही नही उठता है। उक्त तथ्यो को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का ना तो अवलोकन किया ना ही अपने निर्णय मे विवेचन किया है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.2.16 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से निर्णय पारित किया गया है। क्योकि अपीलांटगण सायल/रेस्पो0 व अन्य छोटे छोटे काश्तकारो के आवागमन हेतु बने रास्ते को अवरूद्व करने पर आमादा है एवं इसी रास्ते मे होकर गोपाल गौशाला मे आया जाया जाता है। सरकार द्वारा काफी धनराशि खर्च कर आम जनता एवं गोपाल गौशाला की गायो हेतु रास्ता बनाया गया है। जिसे अपीलांटगण द्वारा नाजायज रूप से अवरूद्व करना चाहते है। रास्ते की पुष्टि वर्तमान एवं साबिक शीट से पूर्णतया साबित होना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे माना है। किसी भी खातेदार का रास्ता बंद किये जाने पर उनको उनकी कृषि भूमि पर आने जाने से वंचित होना पडेगा एवं वह खेती करने से भी वंचित होगे। रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राईमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को सायलान/रेस्पो0 के पक्ष मे बखूबी साबित होना माना है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड का भली भॉति अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि सायलान/रेस्पो0 द्वारा रास्ते की भूमि खसरा न0 5437 मुख्य सडक हिण्डौन करौली रोड से खसरा न0 5151 कस्बा हिण्डौन से प्रारंभ होकर ख0न0 4044 मे होकर फुलवाडा की सीमा के प्रवेश करने वाले रास्ते को अपीलांट/गैरसायलान द्वारा जबरन अवरूद्व किये जाने एवं गैर मुमकिन नाले की भूमि पर अतिक्रमण करने तथा भूमि को खुर्द बुर्द करने के आशय के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात यह पाया कि पक्षकारो के मध्य विवाद का मुख्य बिन्दु रास्ते की भूमि को लेकर है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात का वर्तमान एवं साबिक रिकार्ड का मिलान करने पर मौके पर रास्ता सरकार द्वारा बनाया जाना साबित माना है तथा मौके पर उक्त रास्ते मे होकर आवागमन लम्बे समय से सुचारू रूप से होना माना है। रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है जिसके अवरूद्व होने से छोटे छोटे किसानो को उनकी आराजीयात पर पहुॅच हेतु असुविधा उत्पन्न होगी। इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को रास्ते की भूमि खसरा न0 5437 मुख्य सडक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:30 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हिण्डौन करौली रोड से खसरा न0 5151 कस्बा हिण्डौन से प्रारंभ होकर खसरा न0 4044 मे होकर फुलवाडा की सीमा मे प्रवेश करते हुए आगे जाने वाले रास्ते मे व्यवधान नही करने बाबत अपीलांट/गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है तथा सायलान/रेस्पो0 को गोपाल गौशाला की आराजीयात पर अतिक्रमण नही करने हेतु ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के सिद्वान्तो के अनुरूप ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप ज़िला कलक्टर, हिण्डौन सिटी के मु0नं0 123/15 मे पारित निर्णय दिनांक 19.2.16 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी ★ सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:54:30 IST
Reason: SelfAttested